10.10.17 आज पुनः यह पत्रा०
मेरे समक्ष मूल वाद के साथ
प्रस्तुत हुई।

पत्रा० का अवलोकन किया
पाया कि श्री ... उभय पक्षों के
समझौते के आधार पर दि० 12.4.16 को
निस्तारित किया जा चुका है।
अतः मूल पत्रा० को मूल
वाद के साथ संलग्न किया जाए
तथा पत्रावली पत्रा० में दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी श्री बलवन्त सिंह लिग्री आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक:	प्रा0पत्र निर्णय दिनांक:
297 / 13 / एसीएम	8.3.13	12.4.16

अनुवान

(1) इमरती पत्नी लोकराम
(2) कॅवर सिंह
(3) सुबेसिंह
(4) बरकत सिंह
(5) सत्यवीर पुत्रान श्री लोकराम
(6) चम्पा पुत्री लोकराम जाति अहीरान निवासी ग्राम दाईका पटवार मण्डल कतोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम :–

(1) पाँची पत्नी मामराज
(2) बिशम्भर
(3) रामसिंह
(4) सुबेसिंह
(5) पूपसिंह पुत्रान मामराज
(6) ओमी देवी
(7) अंगूरी देवी पुत्रीयान मामराज जाति अहीरान ग्राम दाईका पटवार मण्डल कतोपुर
(8) श्रीराम
(9) राजाराम
(10) लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्री रामस्वरूप जाति चमार
(11) सरती पत्नी बनवारी
(12) सुबेसिंह पुत्र बनवारी
(13) परमवती
(14) बिल्लो

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

(15) सोमा पुत्रीयान बनवारी
(16) प्यारेलाल
(17) अमीलाल
(18) रामपत पुत्रान प्रेमराज जाति अहीरान निवासी ग्राम दाईका पटवार मण्डल कतोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
(19) सरती देवी पत्नी शेरसिंह
(20) ओमप्रकाश
(21) सुरेश
(22) रोशनलाल
(23) धर्मपाल
(24) राजेन्द्र पुत्रान श्री शेरसिंह
(25) प्रेम देवी पुत्री शेरसिंह जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम
(26) शान्ति देवी पत्नी शुभराम
(27) सतीश पुत्र शुभराम
(28) गुड्डी
(29) सोमवती पुत्रीयान शुभराम जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम
(30) हरिसिंह पुत्र श्री बालाराम जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम
(31) राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

अप्रार्थीगण

दावा तकासमा आराजी। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212
राज. टी.ऐ.आदेश 39 नियम 1 व 2 व
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित :–
1. श्री रामफलयादव अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण
2. श्री शीतलप्रशाद चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 7 /प्रतिवादी0

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राज. टी.ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजों से प्रार्थीगण का केस प्राइमाफेसई आयद वो साबित होता है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 30 की सामलती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर सामलात में ही काबिज के दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्डस में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा है। मिन प्रार्थीगण अपने 1/8 हिस्से पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 30 के साथ-साथ शामलात में ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। अबट आराजी है। पक्षकार के मध्य आज तक किसी भी प्रकार का कोई तकासमा (बॅटवारा) नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण लड़ाक वो मुठमर्द प्रवृति के है जो कि कानून कायदो की कतई परवाह नहीं करते है। आये रोज मिन प्रार्थीगण के सामलात हिस्से के कब्जा काश्त में मजा महत व मदालखत पैदा करते रहते है एवं निर्माण कार्य करने की धमकियॉ देते है। दिनांक 7-3-08 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा की व निर्माण कार्य करने का असल प्रयास किया एवं ऐलानिया तौर पर धमकियॉ दी कि वो अबट आराजी वो दीगर लोगो को मुंतकिल करेंगे और तुम्हें तुम्हारे हिस्से से जबरन बेदखल करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नहीं ऑकी जो सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 30 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है, जिस पर सामलात में ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थीगण है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 163/2-18 बीघा वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम को कहीं दीगर जगह रहन-बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा दीगर लोगो को मुन्तकिल ना करें, ना ही निर्माण कार्य किसी भी प्रकार का कच्चा-पक्का करे, ना ही प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करें, ना कब्जा करे, ना बेदखल करें, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 वो 19 लगायत 29 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र जिस प्रकार बयान किया गया है। गलत है तस्लीम नहीं ।यह सही है कि विवादित आराजी पक्षकारान की रिकॉर्डस शामलात है परन्तु पक्षकारान ने बाहमी तौर पर काफी अर्सा पूर्व बाहमी बंटवारा किया हुआ हैं हम जवाबदार के हिस्से में पश्चिम दक्षिण का हिस्सा शेष अप्रार्थीगण वो प्रार्थीगणे के हिस्से में तरफ पूर्व उत्तर की तरफ हिस्से में है। वो इसी प्रकार अर्सा दराज से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त प्रकार से हम जवाबदारान मौके पर काबिज व दखील है। कोई शामलात में काश्त नहीं कर रहे है। पूर्व में बंटवारा हो चुका है। इसलिए दुबारा कानूनन बंटवारा नहीं किया जा सकता है। हम जवाबदारान ने कभी प्रार्थीगण को धमकी बेदखल करने की नहीं दी। बाहमी बंटवारा के अनुसार अर्से दराज से काबिज है । इसलिए बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । दिनांक 7–3–08 की कहानी मिथ्या दर्ज की है। कोई प्राईमाफसाई केस प्रार्थीगण का नही है। प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में कथित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि प्रार्थी का दावा तकासमा का है। विवादित आराजीयात में वादीगण का 1/8 हिस्सा है। अप्रार्थीगण ने जवाब में लिखा है कि मकानात बने है। बाहमी बटवारा है तो अप्रार्थीगण को बताना चाहिऐ कि कितना व कहां पर हिस्सा है। जबकि अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे बाहमी बंटवारा साबित हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 का उद्देश्य कानूनी रुप से विवादित आराजी का बंटवारा करना ही है जिसमें नियम 18 से 21 की पालना में मौके पर तकासमा कमिश्नर द्वारा किया जाता है ना कि काश्तकार द्वारा। प्रतिवादी द्वारा बिना बंटवारा कराये आराजी को खुर्द बुर्द किया तो वादी को अजहद की हानि होगी। व कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत की तो सुविधा का सन्तुलन मिन प्रार्थीगण को

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

होगा। निवेदन किया कि पूर्व में जारी स्थगन आदेश को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वह विवादित आराजी के खरीददार है प्रार्थीगण का कहीं भी हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र 8 साल से लम्बित है। प्रार्थीगण का उद्देश्य बंटवारा कराना नहीं है। इसकी आड में कानून का दुरुपयोग कर रहे है। नुकसान प्रार्थीगण को नहीं बल्कि नुकसान मिन जवाबदारान अप्रार्थीगण को हो रहा है। मिन अप्रार्थीगण जवाबदार किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण को नुकसान नही पहुंचा सकते। मिन जवाबदारान अपने हिस्से पर काबिज हैं। मिन जवाबदारान का केस प्राइमाफेसाई साबित है। प्रार्थीगण ने दावा गलत कर रखा है। अपूरणीय क्षति व असुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण को है। प्रां0पत्र खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी के भूमि के प्रत्येक अंश पर सहखातेदार का हक होता है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रा0पत्र काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टी.ऐ.आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. बाबत विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 163/2–18 बीघा वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.4.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner